FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी — मुकाम किशनगढ़, अजमेर

• धर्मेन्द चान्दना पुत्र श्री श्रवण जाति गुर्जर उम्र करीबन 19 साल निवासी ग्राम चांदना की ढाणी, ग्राम सरगांव तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.। — प्रार्थी

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज वगै। — अप्रार्थी

किस्म मुकदमा – प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

दर्ज क्रमांक 21 /2026

ऑन लाईन नंबर 2026/.....

वकील प्रार्थी श्री पीयूष धाभाई — वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.01.2026	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री पीयूष धामाई ने अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर बहस हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर उनकी एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के अभिभाषक किशनगढ फौजदारी न्यायालय के कार्यो में व्यस्त होने के कारण दिनांक 15.10.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाये थे जिसके कारण दिनांक 15.10.2025 को उनका प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 14.11.2025 को हुई अतः प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को न्यायहित में स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 को निरस्त कर उसे सुनवाई एवं प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2025 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में आदेश 09 नियम 03 सी. पी.सी. के तहत खारिज कर दिया गया था जबकि वकील प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 मियाद अवधि गुजरने के बाद पेश किया गया है साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अनुपस्थिती बाबत पर्याप्त हैतुक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को संधारणिय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 19/1/26 उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)	